

6/12

फरद अहकाम

(3)

प.स.प.म./... के.व.व. ५०६/२०११ दिनांक २७/११/१६
को.व.व. १

राजस्व लोक अदालत
अभिमान न्यून आयके द्वार २०१०
कैम्प... (२०१२-१३).....

23/11/16 कानूनी राजस्व लोक अदालत के मध्य जलंगाल
के प्रेषा हुई। जिसमें वारीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र
एवं प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत जवाब के रूपलेखन
किन्हीं प्रतिवादी नं० ०५ के जवाब एवं प्रतिवादी गण १
ताब की ओर ले दि. २७/११/१२ की २५५५५५५५५५५५
द्वारा अदालत नाम प्रस्तुत किन्हीं किन्हीं जवाब में
कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किन्हीं नोर्मल के अधिक लम्ब
अतीत होने पर जवाब प्रस्तुत नहीं काल प्राप्ति प्रतिवादी
गण १-५ का जवाब बंद किन्हीं जाग सही प्रतीत होने
उक्त तथ्यों के आधार पर क्वीन वारीगण द्वारा
प्रस्तुत वादपत्र खिलाफ प्रतिवादी गण डिक्ली किन्हीं
जाता है। अतः डिक्ली जाता है कि प्रतिवादी गण १ ता
५ को के शत्रु भुकरावणी के खेती नं० ११७३, २१७६, २४८२
के के खेती के वारीगण १ ता ६ के हिस्से $\frac{1}{2}$ की
विवाहित शक्ति के अजाहलत, नद (वक्त ग करे। किन्हीं
वारीगण के कलज करत जातिपूर्वक करे दी जावे।
प.स.प.म. के तल श्रुत लेखन गवा हे म
की जावे वाद तन्वील शरित ५ फरवरी की जावे।
निर्णय (पुली राजस्व लोक अदालत शिबिउ
(मुनाम गण)

(Signature)
उप जिला कलेक्टर
हिण्डीन सिटी, जिला करौली